समाचार

मास्क न लगाने व फिजिकल डिस्टेंसिंग उल्लंघन पर आज 9750 रू. का जुर्माना

कोरबा 02 जून 2020 – आज मास्क न पहनने व फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों के ऊपर 9750 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार फिजिकल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन व मास्क न लगाने पर कोसाबाड़ी जोनांतर्गत 4400 रूपये, पं. रविशंकर जोनांतर्गत 2200 रूपये का अर्थदण्ड, बांकीमोंगरा जोनांतर्गत 1950 रूपये एवं सर्वमंगला जोनांतर्गत 1200 रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया।

फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क अनिवार्यतः लगाएं–महापौर श्री राजकिशोर प्रसाद एवं आयुक्त श्री एस.जयवर्धन ने आमजन से अपील करते हुए कहा है कि संक्रमण से बचने के लिए मास्क अनिवार्य रूप से लगाएं तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बिना मास्क लगाए घर से बाहर न जाएं, मास्क न होने पर गमछे, रूमाल आदि से मुंह, नाक अच्छी तरह ढक कर ही बाहर निकले, दुकानों, बाजारों, सार्वजनिक स्थानों में फिजिकल डिस्टेंसिंग आवश्यक रूप से अपनाएं। **उन्होने दुकानदारों से अपील करते हुए कहा है कि वे व्यवसाय के दौरान अपनी दुकानों में फिजिकल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन कराएं, इस हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं निर्धारित कर ले तथा वायरस के संक्रमण से बचाव,उसके नियंत्रण एवं प्रसार को रोकने की दिशा में शासन प्रशासन द्वारा उठाए जा रहे कदमों में अपना पूरा सहयोग दें।**